उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

UTTARAKHAND AYURVEDA UNIVERSITY

(उत्तराखण्ड सरकार का स्वायत्तशासी निकाय; विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

(An Autonomous body of Uttarakhand Government; registered u/s 2(f) of UGC Act, 1956; Member of AIU)

रेलवे रोड़, हर्रावाला, देहरादून (उत्तराखण्ड) – 248001 Railway Road, Harrawala, Dehradun (UK) - 248001

Phone : +91-135-2685993; **Fax :** +91-135-2685124; **Email :** uttarakhandayurved@gmail.com; **Website :** www.uau.ac.in;

संख्या : 115 /उ0आ0वि0/2022 दिनांक : 16.04.2022

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में स्नातक हेतु नीट यू0जी0–2021 की मेरिट के आधार पर शैक्षिक सत्र 2021–22 के लिए बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय परिसरों में राजकीय कोटे एवं निजी क्षेत्र में स्थापित कॉलेजों की सीटों पर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के माध्यम से केन्द्रीयत काउंसिलिंग (**Centralized Counselling**) कर विभिन्न काउंसिलिंग चरणों के माध्यम से सीट आवंटन की कार्यवाही सम्पादित की जानी है। जिस हेतु विश्वविद्यालय स्तर से काउंसिलिंग के सफल संचालन हेतु निम्नलिखित तिथियों का निर्धारण किया जाता है। जिस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं मॉप–अप चरण काउंसिलिंग की रिक्त सीटों को मॉप–अप चरण की काउंसिलिंग से भरे जाने हेतु निम्नतिथियों का निर्धारण किया जाता है:–

स्ट्रे वेकेंसी चरण की यू0ए0यू0सी0 यू0जी0– 2021–22 काउंसिलिंग हेतु समय सारणी:–

Stray Vacancy Round of UG Counseling	
Online Registration & Fresh Registration and Fee Submission	**17-04-2022 to 20-04-2022**
Physical Reporting in Uttarakhand Ayurved University (09:00 AM to 12:00 PM) and allotment of Seats by Counselling Board	**23-04-2022 & 24.04.2022**
Last date of joining the allotted college	**25.04.2022 to 27.04.2022**

1– आयुष स्नातक पाठ्यक्रम (बी0ए0एम0एस0 /बी0एच0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0) की स्ट्रे वेकेंसी चरण काउंसिलिंग में सम्मिलित होने हेतु नियम/शर्तें:–

- नीट– 2021 में अर्ह अभ्यर्थी जो प्रथम बार पंजीकरण कर रहें हों।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने प्रथम/द्वितीय/मॉप–अप चरण चरण काउन्सिलिंग में पंजीकरण ना कराया हो और स्ट्रे वेकेंसी चरण में सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हो।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने बोर्ड द्वारा प्रथम/द्वितीय/मॉप–अप चरण काउन्सिलिंग में कोई भी सीट आवंटित नही हुई हों।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने बोर्ड द्वारा प्रथम/द्वितीय/ मॉप–अप चरण काउन्सिलिंग में आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण ना की गयी हो और स्ट्रे वेकेंसी चरण में सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हो। तो वे नियमानुसार प्रतिभाग कर सकते है।
- **ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने बोर्ड द्वारा प्रथम/द्वितीय/मॉप–अप चरण की काउंसिलिग में किसी भी संस्थान में प्रवेश लिया हो ऐसे अभ्यर्थी इस काउंसिलिंग हेतु पात्र नही है।**
- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित आयुष स्नातक काउंसिलिंग (AACCC) में जिन अभ्यर्थी को अनअर्ह (ineligible) घोषित किया गया वह इस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मॉप–अप चरण में सम्मिलित नही हो सकते है।

2– स्ट्रे वेकेंसी चरण चरण काउन्सिलिंग हेतु पंजीकरण शुल्क एवं सिक्योरिटी शुल्कः–

- उपरोक्तानुसार पात्र प्रत्येक इच्छुक अर्ह अभ्यर्थी को मॉप अप चरण की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग/सम्मिलित होने हेतु **अभ्यर्थी को रू0 2000/–(दो हजार रू0 मात्र)** नान रिफनडेवल **पजीकरण शुल्क** के रुप में केवल ऑनलाईन माध्यम से ही जमा कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में वे माप–अप चरण काउन्सिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन हेतु अर्ह नही माने जायेगें।
- जिन अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा सीट आवंटित की जायेगी उन अभ्यर्थियों के द्वारा विश्वविद्यालय को सिक्योरिटी शुल्क के रूप में रू0 15000/–(पंद्रह हजार रू0 मात्र) ऑन–लाईन के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। जिसके उपरांत ही सम्बंधित अभ्यर्थी को आवंटित पत्र (Allotment letter) प्रदान किया जायेगा।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह सिक्योरिटी शुल्क के रूप में रू0 15000/– (पंद्रह हजार रू0 मात्र) की ऑन–लाईन व्यवस्था करें।

3– स्ट्रे वेकेंसी चरण की काउंसिलिंग हेतु सामान्य दिशा–निर्देशाः–

- अभ्यर्थियों को मॉप–अप चरण की काउंसिलिंग हेतु ऑन–लाईन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। केवल पंजीकृत अभ्यर्थियों को सीट आवंटन किया जायेगा।
- सीट आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से मैन्यूल होगी जिसमें अभ्यर्थियों को कांउसिलिंग बोर्ड के सम्मुख उपस्थित होना होगा। इस हेतु अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन मे निर्धारित तिथि एवं समय में उपस्थित होना होगा। केवल उपस्थित अभ्यर्थियों को ही काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन किया जायेगा।
- सीट आवंटन से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों को एक प्रपत्र उपलब्ध कराया जायेगा जिसको अभ्यर्थी के द्वारा भरा जायेगा। अभ्यर्थी अपने सम्पूर्ण मूल अभिलेख (information brochure point no 8.4.11) एवं छायाप्रति (Photo copy), 05 नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो लाना अनिवार्य होगा।
- Stray Vacancy Round में सर्वप्रथम मेरिट के आधार पर राज्य कोटे के पात्र/पंजीकृत अभ्यर्थियों को सीट आवंटन किया जाऐगा इस हेतु स्टेट मेरिट लिस्ट पृथक से जारी की जायेगी। इसके पश्चात् भी यदि राज्य कोटे की सीटें रिक्त रहती है तो उन सीटों को अखिल भारतीय कोटा के अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। जिसमें स्टेट के अभ्यर्थी भी प्रतिभाग कर सकते है, इस हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों की संयुक्त मेरिट सूची (Combined Merit List) जारी की जायेगी। निजी सम्बद्ध संस्थानों की अधिकांश सीटें भरी जाने हेतु Stray Vacancy Round कांउसिलिंग की सीटों की प्रवृत्ति Open for all की होगी। जिसमें राज्य एवं अखिल भारतीय कोटे के नीट –2021 अर्ह अभ्यर्थियों के सामूहिक सूची (Combined Merit List) बनाते हुये मेरिट के अनुसार सीट आवंटित की जायेगी।

काउंसिलिंग स्थलः– उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, रेलवे रोड, हर्रावाला, देहरादून।

4– अन्य सामान्य नियम/शर्ते

- विस्तृत जानकारी हेतु UAUCUG- 2021 information brochure का अध्ययन भली–भांति कर लें।
- काउॅन्सिलिंग की प्रक्रिया, समय–सारणी, अद्यतन सीट मेट्रिक्स,एवं काउॅन्सिलिंग संबंधी अन्य जानकारियाँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट uau.ac.in पर विभिन्न लिंकों के माध्यम से अपलोड़ की जा रही है एवं भविष्य में भी काउन्सिलिंग संबंधी प्रत्येक अद्यतन जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर ही अपलोड की जायेगी। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना (Call Letter) नहीं भेजी जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रुप से विश्वविद्यालय वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

काउंसिलिंग बोर्ड–2021